न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 28/2021 GCMS NO 2021/178
दायरा तिथि : 16.08.2021
आदेश तिथि : 14-03-2022

प्रार्थी :–
श्री शांतु कुमार पुत्र सुकनलालजी जाति सरगरा
निवासी घाणेराव तहसील देसूरी जिला पाली (राज0)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–
1. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
2. कमलेशकुमार पुत्र चम्पालाल जाति जैन निवासी खिमेल तहसील बाली
3. बाबुलाल पुत्र चम्पालाल जाति जैन निवासी खिमेल तहसील बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

दिनांक: 14-03-2022

आदेश

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम खीमेल तहसील बाली के खसरा नंबर 1132 रकबा 4.96 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवाय चक भूमि ग्राम खिमेल तहसील बाली के खसरा नंबर 1137 व 1140 किस्म गै.मु. नाला व बारानी दोयम मेंसे आम रास्ता सडक खसरा नंबर 1017 तक पहुँच के लिये प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से 30 फीट चौडा नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, मौखमपुरा ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2021/1680 दिनांक 23.09.2021 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.ग्राम खिमेल तहसील बाली के खसरा नंबर 1132 रकबा 4.9600 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की खातेदारी प्रार्थी श्री शांतुकुमार पुत्र सुकनलाल जाति सरगरा निवासी घणेराव तहसील देसूरी के नाम दर्ज है। खातेदार के द्वारा धारित भूमि में आवागमन हेतु वर्तमान में प्रार्थी खसरा नंबर 1140 किस्म बारानी सोयम में होकर खसरा नंबर 1141 जो कि रेकर्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज है। उसमें होकर खसरा नंबर 1137 गै.मु. नाला में होकर अपनी खातेदारी भूमि में आना जाना करता है।

2. यह हैं कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	1140	3.84 हैक्टर	बारानी दोयम	9.40X 32=300.8वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक
2.	1137	5.74 हैक्टर	गै.मु. नाला		राजकीय सिवायचक

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम खीमेल की डी.एल.सी. दर 145350/– रूपये प्रति हैक्टर है।

4 .प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं हैं। एवं न ही अन्य कोई भी क्षति होगी।

प्रार्थी के अन्य विकल्प के तौर पर प्रार्थी को निजी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1131 मेंसे होकर प्रार्थी को दिया जा सकता है। किन्तु उक्त खसरा नंबर में मौके पर खेत तलाई का निर्माण किया हुआ है, तथा खसरा नंबर 1132 में प्रार्थी स्वयं के द्वारा बोर किया हुआ है तथा चारो तरफ बाऊण्ड्रीवाल भी बनी हुई हैं।

तहसीलदार, बाली द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में आवेदित रास्ता में गै.मु. नाला की भूमि आने से निजी खातेदारी खसरा नंबर 1131 मेंसे विकल्प के तौर पर रास्ता दिये जाने की संभावना व्यक्त करने से प्रार्थी आवेदक द्वारा दिनांक 23.09.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये पुर्व में मांगे गये रास्ता के रूट में खसरा नंबर 1137 गै.मु. नाला पडने तथा गै.मु. नाला की भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में आने से तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट में उल्लेखित वैकल्पिक रूट से अर्थात् खसरा नंबर 1131 की भूमि जो कि निजी खातेदार कमलेश, बाबुलाल पुत्रगण चम्पालालजी जाति जैन निवासी खीमेल की खातेदारी भूमि है। इस भूमि से रास्ता उपलब्ध कराये जाने बाबत् संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किया।

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 28/2021 GCMS NO 2021/178
अनवान शान्तु कुमार बनाम तहसीलदार, बाली वगैरा
अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

आवेदक प्रार्थी द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से न्यायालय द्वारा दिनांक 23.09.2021 को हितबद्व पक्ष खसरा नंबर 1131 के खातेदार कमलेश पुत्र चम्पालाल जाति जैन निवासी खिमेल एवं बाबुलाल पुत्र चम्पालालजी जाति जैन निवासी खिमेल हाल मुम्बई को रजिस्टर्ड डाक से Amba Mata Road Mandir Ke pas First bulding Palghar West Mobile 922442840 व 8850888454 निवास पते पर रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भिजवाये गये। राजस्व लोक अदालत में सहवन से अप्रार्थी संख्या 02 03 को पक्षकार बनाये जाने का अंकन आदेशिकाओ में नहीं किया गया, परन्तु न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की प्रतियॉ बतौर साक्ष्य पत्रावली पर मौजुद है। जिससे यह मानने में कोई आपत्ति नहीं हैं कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करते हुये प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 02 व 03 को पक्षकार बनाते हुये ही रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भिजवाये गये है। तथा साथ ही आदेशिका दिनांक 23.02.2022 से तहसीलदार, बाली से निजी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1131 का रास्ता में कितना क्षैत्रफल प्रभावित होगा इस बाबत् रिपोर्ट भी तलब की जाना प्रमाणित हैं। दोनो अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से भेजे लिफाफे खुल्ले हुये Left Address की रिपोर्ट के साथ पुनः प्राप्त हुये। रजिस्टर्ड डाक से भेजे हुये लिफाफे खुल्ले हुये पुनः लौटने से उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को तामील से इन्कार नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 को नियत पेशी दिनांक 09.11.2021 के नोटिस तामील के बावजुद आदिनांक तक उक्त अप्रार्थीगण वकालतन/असालन अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। न्यायालय आदेश की पालना में पुनः जांच करते हुये तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक, मौखमपुरा ने पत्रांक/राजस्व/2022/694 दिनांक 09.03.2022 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.ग्राम खिमेल तहसील बाली के खसरा नंबर 1132 रकबा 4.9600 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की खातेदारी प्रार्थी श्री शांतुकुमार पुत्र सुकनलाल जाति सरगरा निवासी घणेराव तहसील देसूरी के नाम दर्ज है। खातेदार के द्वारा धारित भूमि में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य मार्ग वैकल्पिक रूप में रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान में प्रार्थी खसरा नंबर 1140 किस्म बारानी सोयम में होकर खसरा नंबर 1141 जो कि रेकर्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज है। उसमें होकर खसरा नंबर 1137 गै.मु. नाला में होकर अपनी खातेदारी भूमि में आना जाना करता है।

2. यह हैं कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	1140	3.84 हैक्टर	बारानी दोयम	9.40X 30=274वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक
2.	1141	0.41 हैक्टर	गै.मु. रास्ता	संपुर्ण रकवा रास्ते के उपयोग में आ रहा है।	राजकीय सिवायचक किस्म गै.मु. रास्ता
03	1131	3.67 हैक्टर	बारानी अव्वल	9.40X 80=731वर्गमीटर	कमलेश कुमार पुत्र चम्पालाल हि. 1/4 जैन बाबुलाल पुत्र चम्पालाल हि. 3/4 जैन निवासी खिमेल

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम खीमेल की डी.एल.सी. दर 207720/– रूपये प्रति हैक्टर है।

4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में खसरा नंबर 1131 में छोटी कंटीली तीन झाडिया हैं। व खसरा नंबर 1131 की खातेदारी भूमि में 20 फीट तक भूमि खाली पडी है। लेकिन आगे इसी खसरा नंबर में पक्की दीवार निकली हुई हैं। जिस निर्माण की क्षति होगी। जिसकी अनुमानित कीमत करीबन 8000/–रूपये होगी।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा न्यायालय आदेश की अनुपालना में रिपोर्ट प्रस्तुत कर देने एवं हितबद्व पक्ष अप्रार्थी संख्या 02 व 03 बावजुद रजिस्टर्ड नोटिस के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से वकील प्रार्थी श्री रताराम राठौड ने तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांकः/राजस्व/2022/694 दिनांक 09.03.2022 से प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी आवेदक को रास्ता उपलब्ध कराये जाने बाबत् आदेश जारी किये जाने की दलील दी गई।

पेज लगातार

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली,जिला पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 28/2021 GCMS NO 2021/178
अनवान शान्तु कुमार बनाम तहसीलदार, बाली वगैरा
अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकुलाय की बहस पर गनन के पश्चात् ज्ञात हैं कि आवेदक प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम खीमेल तहसील बाली के खसरा नंबर 1132 रकबा 4.96 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में आवागमन के लिये वर्तमान में रेकर्डेड कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, जिस तथ्य को अप्रार्थी तहसीलदार, बाली ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है। जिससे प्रार्थी की रास्ते बाबत् मांग न्योयोचित है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3 (2) Rev.6 / 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉक: प.3 (52) राज–6/ 12 /4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम खीमेल तहसील बाली के खसरा नंबर 1132 रकबा 4.96 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि में आवागमन के लिये **राजकीय सिवाय चक भूमि ग्राम खीमेल के खसरा नंबर 1140 रकबा 3.84 हैक्टर मेंसे 274 वर्गमीटर** एवं निजी खातेदारी भूमि ग्राम खीमेल तहसील बाली के खसरा **नंबर 1131 रकबा 3.67 हैक्टर मेंसे 731 वर्गमीटर कुल (274+731) =1005 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2022/694 दिनांक 09.03.2022 के संलग्न निरीक्षक भू.अ. मौखमपुरा द्वारा तैयार नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 207720/– रूपये प्रति बीघा से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1140	3.84 हैक्टर	9.40X30=274 वर्गमीटर	20.772	**5692X2= 11384**	राजकीय सिवाय चक
1131	3.67 हैक्टर	9.40X80=731 वर्गमीटर	20.772	**15184X2=30368**	कमलेश कुमार पुत्र चम्पालाल हि. 1/4 जाति जैन बाबूलाल पुत्र चम्पालाल हि. 3/4 जाति निवासी खीमेल

उक्त आदेश से आवेदक को रास्ता उपलब्ध कराये जाने पर बीच में पडने वाला खसरा नंबर 1141 रकबा 0.41 हैक्टर पहले से राजस्व रेकर्ड में गै.मु. रास्ता राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज होने से इस बाबत् प्रतिकर देय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित रास्ता खसरा नंबर 1131 में निजी खातेदार द्वारा निकाली हुई पक्की दीवार की क्षति जिसका आंकलन तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट 8000/–रूपये अंकित किया गया है, उक्त 8000/–रूपये प्रभावित खातेदार को प्रतिकर राशि 303068/– अतिरिक्त देय होगी। उक्तानुसार आवेदक द्वारा **निजी खातेदार को** प्रतिकर राशि 30368/–रूपये एवं पक्के निर्माण की क्षति 80000/–रूपये **कुल राशि (30368+ 80000) = 38368/–रूपये अक्षरे अडतीस हजार तीन सौ अडसठ मात्र अदा** की जायेगी तथा सिवायचक भूमि की देय प्रतिकर राशि 11384/–रूपये आवेदक द्वारा राजकोष में जमा कराई जावेगी। निजी खातेदार द्वारा राशि नहीं लिये जाने की दशा में निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि 38368/–रूपये भी आवेदक द्वारा तहसील कोष में जमा कराई जायेगी।

तहसीलदार, बाली देय कुल प्रतिकर राशि एवं पक्के निर्माण की क्षति 49752/–रूपये **अक्षरे उन पचास हजार सांत सौ बावन रूपये मात्र** अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

([illegible])
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

दिनांक : 14-03-2022

क्रमांक / कोर्ट / 2022 / 786-90
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः—

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 गौखमपुरा
3. पटवारी हल्का, खीमेल
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री शांतु कुमार पुत्र सुकनलालजी जाति सारगरा निवासी घाणेराव तहसील देसूरी जिला पाली (राज0) को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली, जिला-पाली (राज.)